

कार्यालय कलेक्टर कांकेर, जिला-कांकेर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

क्र./1720/कले/पू-अभि/ 2016

कांकेर, दिनांक 8/11/2016

जिला कांकेर के अंतर्गत निम्नानुसार ग्रामों के निम्नानुसार नारंगी वनभूमि एवं राजस्व वन क्षेत्र के रकबा में कार्यपालन यंत्री, अति उच्च दाब निर्माण संभाग, छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या. द्वारा 132 के.व्ही. भानुप्रतापपुर - पखांजूर पारेषण लाईन निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

नारंगी वन क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्र का विवरण :-

(1.) पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल

क्र.	खसरा नम्बर	प्रत्यावर्तन क्षेत्र (रकबा हेक्टे.में)	ग्राम का नाम
1.	79, 71	1.026	पुत्तरवाही
2.	267, 228	1.647	घोटिया
3.	13	3.634	विक्रमगंज
4.	492	0.540	करमाड़
5.	1	1.129	कोण्डे
6.	1, 112, 170, 80, 79, 62, 43	4.196	चिखली
योग :-		12.172	

(2.) पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमण्डल

1.	678, 749, 539, 542	2.322	पी.व्ही.-34
2.	119, 123	0.527	हरनगढ़
योग :-		2.849	
महायोग :-		15.021	

राजस्व वनभूमि के प्रभावित क्षेत्र का विवरण :-

1.	59, 13	0.583	विक्रमगंज
2.	83, 83, 85	1.201	कोकड़े
3.	282	0.237	करमाड़
4.	4	0.081	पलाचूर
5.	94, 97	0.421	पुड़ोमिचगांव
6.	1	0.432	कोण्डे
7.	67	0.351	दोड़देकादर
योग :-		3.306	

उपरोक्तानुसार जिला-कांकेर के अंतर्गत नारंगी वनभूमि (पूर्व/पश्चिम भानुप्रतापपुर) में 15.021 हे. एवं राजस्व वन क्षेत्र में 3.306 हे., कुल रकबा 18.327 हेक्टे. में 132 के.व्ही. लाईन निर्माण का कार्य कराने हेतु नारंगी एवं राजस्व वन क्षेत्र को प्रत्यावर्तन कराने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

कलेक्टर
जिला-कांकेर

वन अधिकारों की मान्यता के अंतर्गत गठित अनुविभाग स्तर की समिति की कार्यवाही बैठक का विवरण

गूजर एजेंसी कार्यपालन अभियंता, अति उच्च ग्राब (निर्माण) संभाग, छग राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित मिलाई द्वारा प्रस्तावित 132 के वी. विद्युत पारेषण लाईन 132 के वी डी.सी.एस.एस. भानुप्रतापपुर (पुत्तरवाही) से पखांजूर लाईन के निर्माण हेतु जिले के नीचे लिखे ग्राम (पुत्तरवाही, घोटिया, विक्रमगंज, कोकड़े, करामाड़, पलाचुर, हाहालददी, भुसकी, पुडोमिचगांव, कोण्डे, दोड़देकादर एवं चिखली) के आरक्षित वन, संरक्षित वन, नारंगी वन एवं राजस्व वन से गुजरने का प्रस्ताव है। अतः विद्युत लाईन निकालने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्रस्तावित है। इस संबंध में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 6 (3) के प्रावधान के अंतर्गत गठित एवं प्रदत्त कर्तव्यों/अधिकारों के निर्वहन में नियम 2008 के नियम 6 एवं 14 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अंतर्गत अनुविभागीय स्तर की समिति की बैठक दिनांक 05.08.2016 को आयोजित की गई। जिसमें निम्नानुसार समिति की सदस्यों ने भाग लिया।

- | | |
|--|---------|
| 1. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भानुप्रतापपुर | अध्यक्ष |
| 2. अनुविभागीय अधिकारी (वन.) भानुप्रतापपुर | सदस्य |
| 3. मण्डल संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग भानु0 | सदस्य |
| 4. श्री रतिराम करंगा जनपद पंचायत सदस्य भानुप्रतापपुर | सदस्य |
| 5. श्रीमती बनीता बाई सलाम जनपद पंचायत सदस्य भानु0 | सदस्य |
| 6. श्री पीलम कुमार नरेटी जनपद पंचायत सदस्य भानु0 | सदस्य |

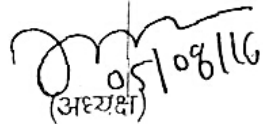
वन भूमि पर वन अधिकार के अधिभोग के संबंध में ग्राम पुत्तरवाही, घोटिया, विक्रमगंज, कोकड़े, करामाड़, पलाचुर, हाहालददी, भुसकी, पुडोमिचगांव, कोण्डे, दोड़देकादर एवं चिखली की ग्राम सभाओं में स्थित वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में पारित सकल्प पर विचार किया गया और यह पाया गया कि वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति/अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत कृषि, आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिये इसका उपयोग कर रहे हैं तथा अनुसूचित जनजाति व आदिम वनवासी का भूमि में व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता प्रमाण-पत्र प्रदाय किया गया है। जो निम्नानुसार है --

क्रं.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.मे)
1	पुत्तरवाही	निरंक	निरंक
2	घोटिया	निरंक	निरंक
3	विक्रमगंज	श्री वंशीराम पिता दशरु राम गौड	0.178
		श्री राम प्रसाद पिता दुरसाय गौड	0.405

4	कोकडे	श्रीमती कमलेश्वरी/भरोस गोड	0.540
		श्री भरोस राम/मांडी गोड	0.175
		श्री रजमन/अकालू गोड	0.486
5	करामाड	श्रीमती रैन बाई पति दुकाल सिंह गोड	0.237
6	पलाचूर	श्री फल्लेसिंह/झिटी गोड	0.081
7	हाहालददी	निरक	निरक
8	भूसकी	निरक	निरक
9	पुडोमिचगाँव	बोधनी बाई बेवा धनीराम गोड	0.097
		शोभी राम पिता बादु राम गोड	0.324
10	कोण्डे	बोसाराम पिता सुकदु गोड	0.432
11	दोडदेकादर	दुरुगसाय पिता मुल्ला गोड	0.351
12	चिखली	निरक	निरक
	योग :-		3.306

ग्राम पुडोमिचगाँव एवं दोडदेकादर में राजस्व वन भूमि पर वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया गया है।

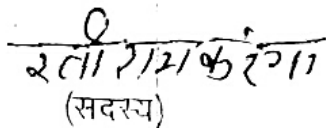
अतः गैर वन उद्देश्य अर्थात् 132 के.व्ही. भानुप्रतापपुर (पुत्तरवाही) से पखांजूर तक विद्युत पारेषण लाईन हेतु अनुविभाग भानुप्रतापपुर में स्थित वन मण्डल भानुप्रतापपुर (पूर्व) रेंज में 35.070 हे. वन भूमि के विपथन/प्रत्यावर्तन को समिति के बैठक में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।


(अध्यक्ष)

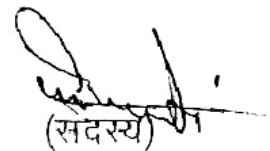
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
भानुप्रतापपुर


(सदस्य)

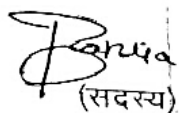
अनुविभागीय अधिकारी (वन)
भानुप्रतापपुर (पूर्व)


(सदस्य)

जनपद पंचायत
भानुप्रतापपुर


(सदस्य)

जनपद पंचायत
भानुप्रतापपुर


(सदस्य)

जनपद पंचायत
भानुप्रतापपुर


(सदस्य)

मंडल संयोजक
आदिम जाति कल्याण विभाग
भानुप्रतापपुर

वन भूमि के संबंध में अनुविभाग स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 04/08/2016

कलेक्टर महोदयों द्वारा मेसर्स कार्यपालन यंत्री अति उच्च दाव (निर्माण) संभाग छगति पारे 0 कंपनी मर्यादित भिलाई छगग को गैरवानिकी कार्य हेतु जिला उत्तर बस्तर कांकेर में आरक्षित वनगडल मानुप्रतापपुर पूर्व/पश्चिम में ग्राम प्रेमनगर पीव्ही 34 स्थित व्यपवर्तन हेतु वनभूमि रकबा 2.322 हे० एवं ग्राम हरनगड स्थित वनभूमि रकबा 0.527 हे० कुल रकबा 2.849 हे० को प्रस्तावित किया गया है। उक्त वनभूमि का अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के नियम एवं प्रावधानों वचा हेतु संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच की अध्यक्षता में एवं 50 प्रतिशत ग्रामसभा के तथा ग्राम वन समिति के मौजूदगी में दिनांक 24/05/2015 को ग्राम सभा का आयोजन किया जाकर परियोजना के कियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराया गया है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के प्रावधान अनुसार प्रस्तावित भूमि क्षेत्र पर वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त करना वाले कोई पात्र व्यक्ति नहीं है एवं प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि हेतु कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परम्परागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है। इस प्रकार कंपनी द्वारा प्रस्तावित भूमि को 132 केव्ही विद्युत पारंपण लाईन कार्य के लिए व्यपवर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है। जिसके संबंध में चर्चा हेतु अनुभाग स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 04/08/2016 को अध्यक्ष श्री आर० एस० जाकुर अनुविभागीय अधिकारी (रा) पखांजूर की अध्यक्षता में समिति के सदस्यों की बैठक हुई। उक्त बैठक में निम्नानुसार माननीय सदस्यगण उपस्थित हुए :-

- | | |
|---|-------|
| 1. अनुविभागीय अधिकारी (वन) पूर्व कापसी पखांजूर | सदस्य |
| 2. मंडल संयोजक (आदिम जाति कल्याण विभाग) पखांजूर | सदस्य |
| 3. श्री अरुण राम नाथक सदस्य जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा
(पुरुष सदस्य अ.ज.जा.) | सदस्य |
| 4. श्रीमती राजकुमारी मंडावी सदस्य जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा
(महिला सदस्य अ.ज.जा.) | सदस्य |
| 5. श्री मोहर सिंह उरोडी अध्यक्ष जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा
(पुरुष सदस्य अ.ज.जा.) | सदस्य |

इस प्रकार ग्राम हरनगढ के नारंगी वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक/खसरा क्रमांक 119, 123 कुल रकबा 0.527 हे० एवं ग्राम पीव्ही 34 प्रेगनगर के नारंगी क्षेत्र कक्ष क्रमांक/खसरा क्रमांक 678, 749, 539, 542 कुल रकबा 2.322 हे० भूमि गैरवनीकी प्रयोजन हेतु आवेदक छोगा० विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित गिलाई को 132 कव्ही विद्युत पारेषण लाईन स्थापना हेतु व्यपवर्तन किये जाने प्रस्तावित किया जाता है।

श्री नोहरा आर्य समाज उर्सडा
अध्यक्ष जयपद पंचायत कोयलीबेड़ा
जिला-उ.प्र. लखीमपुर (म.) कोयलीबेड़ा

श्री राजनारायण नायक
 जनपद सदस्य
 सविर्गचक्रोत्तम पंचायत कोयलीबेड़ा
 जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा
 जिला उ.ब.कांकर (छ.ग.)

सदस्य
श्रीमती राजकुंठारी मंडावी
सदस्य कोयलीबेडा

अनुविभागीय अधिकारी (सि.) (रा.)
पराशरपुर
जिला उ. व. कांकर (उ. ग.)

अनुपममणी उल्लाधिकारी (वन)
इंदौर (वि. वा. पू.)

मंडल सचिव
महिला विभाग
(आदिम जाति विकास प्रगंडा कपलबेदा)
जिला मुख्यालय, रायचूर (पुणे) परवांजूर